

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-5 (न0)/वि0-02/15 5459/ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2724 दिनांक-13.04.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सीतामढ़ी जिलान्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची 'क' में यथावर्णित चौहददी के अन्तर्गत सुरसण्ड नगर पंचायत गठित करती है तथा इसमें पड़ने वाले संक्रमणशील क्षेत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत प्रावधानों को लागू करती है:-

अनुसूची 'क'

1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

(क)	ग्राम का नाम	थाना सं0
	1. सुरसंड असली, जिसके अंतर्गत तीन ग्राम पंचायत सुरसंड पश्चिमी, सुरसंड उत्तरी एवं सुरसंड पूर्वी हैं।	47
(ख)	<u>चौहददी</u>	<u>ग्राम/थाना नम्बर</u>
	उत्तर	बराही पंचायत (परिहार प्रखण्ड) 129
	दक्षिण	वीररख पंचायत 31
	पूरब	श्रीखंडी भिट्टा 49
	पश्चिम	बनौली 27

इन क्षेत्रों को नगर पंचायत, सुरसंड कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18/8/2017

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक-21/8/17

संख्या-5 (न) वि-02/2015 5459/न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

18/8/2017

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक-21/8/17

संख्या-5 (न) वि-02/2015 5459/न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/8/2017

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक-21/8/17

संख्या-5 (न) वि-02/2015 5459/न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/8/2017

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या-5 (न0)/वि0-02/15 5459 अधिसूचना संख्या-567 दिनांक-27.01.2017 /का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar

Urban Development and Housing Department

No-5 (N)VI-02/15 5460 /After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-2724 dated-13.4.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) the State Government in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act constitute Sursand Nagar Panchayat within the boundary as described in the following schedule-'A' in the district-Sitamadhi and enforce the relevant provisions of The Bihar Municipal Act, 2007 in the transitional areas falling in it:-

Schedule-A

1 (a) **Name of villages and Thana Nos**

Name of Village

Thana No.

1. Sursand Asli, within which there are three Gram Panchayat-Sursand West, Sursand North and Sursand East

47

(b) **Boundary:-**

North- Barahi Panchayat (Parihar Block)

129

South- Veerrakh Panchayat

31

East- Srikhandi Bhittha

49

West- Banaouli

27

These areas will be called the Nagar Panchayat, Sursand

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

UD&HD

Dated:- 18/8/17

Memo No- No-5 (N) Vivdh-02/2015 5460

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

UD&HD

Dated:- 21/8/17

Memo No- No-5 (N) Vivdh-02/2015 5460

Copy to All Departments/All Departmental Heads/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Sitamadhi/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

UD&HD

Dated:- 18/8/17

Memo No- No-5 (N) Vivdh-02/2015 5460

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department